

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2021/309


21/11/24

पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इल्टवा होकर दिनांक 24/12/24 को पेश हो।

24/11/24

पत्रावली पेश हुई पत्रावली का इलाका किया संभव में गत सां पक्षी पर प्रतिवादीगण की तलबी हुई लिए इन्जिन रियाफत की गयी परन्तु आवेदन जादेश की पालन नहीं की गयी। इतना परांपर इपनट रिपे पान पर प्रतिवादीगण की तलबी करने में इतममी रहने से इच्छा राज्य (PC) स्थापधानुसार जादेश-9 नियम-5 के तहत कार्य किया जाता है। किन्तु इपनट नाबत से जय होकर तलबी रफ्तार है।

उपजुष्ट अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुवाभन)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
24.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 06.08.2021 से प्रतिवादी संख्या 4 से 5 तलबी में लम्बित चल रहा है। तथा गत तारीख पेशी 26.09.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पैरवी नहीं किया जाना वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया। इस अवधि के दौरान वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये है। परन्तु वकील वादी ने साबिका आदेश की पालना नहीं की है।</p> <p>अतः वकील वादी का वाद अधीन धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अदम तकमील में सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">  (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	